भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1299

दिनांक 06 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

बच्चों में कुपोषण

1299. **मोहम्मद रकीबुल हुसैन:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में हाल के वर्षों में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में अति गंभीर कुपोषण (एसएएम) और मध्यम स्तर के कुपोषण (एमएएम) के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पोषण अभियान के कार्यान्वयन के बावजूद कुपोषण के बने रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) बाढ़ प्रभावित और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (घ): हाल के वर्षों में पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन के माध्यम से असम राज्य में पांच वर्ष से कम आयु के आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में आने वाले और घर पर आंगनवाड़ी सेवाएं प्राप्त करने वाले बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) और मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) से संबंधित आंकड़े (जिलावार) https://www.poshantracker.in/statistics पर उपलब्ध हैं।

पोषण का अर्थ केवल भोजन करना ही नहीं है; इसके लिए पोषक तत्वों का उचित पाचन, अवशोषण और चयापचय आवश्यक है। यह प्रक्रिया स्वच्छता, शिक्षा और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता जैसे कारकों से प्रभावित होती है। चूंकि कुपोषण के समाधान के लिए भोजन, स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता और शिक्षा जैसे बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, इसलिए कुपोषण की समस्या का प्रभावी ढंग से और समन्वित तरीके से समाधान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 18 मंत्रालयों/विभागों के बीच समन्वय स्थापित करके इस समस्या का समाधान किया जा रहा है।

कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए, आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की आयु वर्ग की) के लिए योजना को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह केंद्र प्रायोजित मिशन है, जिसके विभिन्न कार्यों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की है। इस मिशन के लाभार्थियों में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और किशोरियां (14-18 वर्ष की आयु, पूर्वोत्तर राज्यों और आकांक्षी जिलों में) शामिल हैं, जिनमें बाढ़ प्रभावित और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र और दूरस्थ क्षेत्र भी शामिल हैं। यह मिशन दूरस्थ क्षेत्रों सहित पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। मिशन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- देश के मानव पूंजी विकास में योगदान करना;
- कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना;
- स्थायी स्वास्थ्य और तंदरुस्ती के लिए पोषण जागरूकता तथा खान-पान की अच्छी आदतों को बढ़ावा देना

मिशन पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और प्रचार-प्रसार जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं रोग-प्रतिरक्षा में सुधार के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। इसमें मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) / मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि दुबलेपन, ठिगनेपन, रक्ताल्पता (एनीमिया) और कम वजन की व्याप्तता को कम किया जा सके।

इस योजना के तहत बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर पीढ़ियों से चले आ रहे कुपोषण के चक्र को समाप्त किया जा सके। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को जनवरी 2023 में संशोधित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे, जबकि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में अधिक व्यापक और संतुलित हैं जिसमें गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा सूक्ष्म पोषक तत्व (कैल्शियम, जिंक, आयरन, आहारीय फोलेट, विटामिन ए, विटामिन बी6 और विटामिन बी12) प्रदान किए जाते है।

इसके अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने तथा महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर पका हुआ गर्म भोजन तथा टेक होम राशन तैयार करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार मिलेट (श्री अन्न) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

इस मिशन के तहत शुरू किए गए प्रमुख कार्यकलाप में से एक कार्यकलाप पोषण संबंधी पहलुओं पर लोगों को शिक्षित करने के लिए सामुदायिक जुड़ाव और जागरूकता का प्रचार-प्रसार करना है क्योंकि पोषण की अच्छी आदत को अपनाने हेतु व्यवहार परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर एवं मार्च-अप्रैल के महीनों में मनाए जाने वाले पोषण माह तथा पोषण पखवाड़ा के दौरान जन आंदोलनों के तहत नियमित रूप से संवेदीकरण क्रियाकलापों का संचालन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रमों (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों को बदलने

में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में कार्य किया है तथा सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को हर महीने समुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करना अपेक्षित हैं।

पोषण ट्रैकर, एक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उपकरण, को सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और लाभार्थियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए लागू किया गया है ताकि बच्चों में बौनापन, दुबलापन और अल्प-वजन की व्यापकता के निर्धारित संकेतकों का पता लगाया जा सके। इसने आंगनवाड़ी सेवाओं जैसे दैनिक उपस्थिति, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा, पका हुआ गर्म भोजन और टेक होम राशन का वितरण, विकास मापन आदि के लगभग तत्समय(रियल टाइम) में डेटा संग्रह को सुगम बनाया है। ऐप प्रमुख व्यवहारों और सेवाओं पर परामर्श वीडियो भी प्रदान करता है, जो जन्म की तैयारी, प्रसव, प्रसवोत्तर देखभाल, स्तनपान और पूरक आहार के बारे में संदेश प्रसारित करने में सहायक होते हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से, बच्चों में गंभीर कुपोषण की रोकथाम और उपचार तथा इससे जुड़ी रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए बच्चों में कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) प्रोटोकॉल जारी किया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के समन्वय से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और पोषण सहित मातृ एवं शिशु देखभाल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) मनाए जाते हैं।

सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान दिसंबर 2024 में शुरू किया गया था। इस पहल का उद्देश्य सुदृढ़ पोषण सेवाओं, सामुदायिक भागीदारी और बहु-हितधारकों के सहयोग से पोषण संबंधी परिणामों और लोगों की सेहत में सुधार करना है। शीर्ष 1000 ग्राम पंचायतों को 1 लाख रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस प्रोत्साहन राशि का उपयोग आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को सेवा वितरण में सुधार के लिए प्रेरित करने, ग्राम पंचायतों को सामुदायिक जुटाव बढ़ाने तथा नामांकन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने एवं पोषण वाटिकाओं के विकास, एसएनपी मूल्यवर्धन इत्यादि जैसे पोषण संबंधी पहलों में सहायता करने के लिए किया जाएगा।

*****